न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3501–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–8–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर , प्रकरण कमांक 425/अपील/अ–27/11–12.

———

उमादत्त कौशिक तनय मदन मोहन कौशिक
निवासी महेबा जिला छतरपुर म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

रामदत्त कौशिक तनय स्व0 श्री मदनमोहन कौशिक
निवासी ग्राम महेबा तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

—— अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव , अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0एस0 रावत, अभिषक एवं
श्री एस0के0 श्रीवास्तव अभिभाषक अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10.12.2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 425/अपील/अ–27/11–12 में पारित आदेश दिनांक 30–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षेप सारांश इस प्रकार है नायब तहसीलदार महेबा तहसील व जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 28/अ–27/07–08 में पारित आदेश दिनांक 24.12.10 द्वारा गैरनिगराकार रामदत्त के आवेदन पर मौजा सक्तापुर स्थित खसरा कमांक 123 से 128, 130, 131, 133, 134, 175, 178 से 180 कुल किता 14 रकबा 3.140 है का बटवारा स्वीकार किया । ऐसा करते समय उन्होंने वर्ष 1979–1980 में हुये बटवारे को आधार माना, पक्षकारों को स्वत्व के निर्धारण के लिये व्यवहार न्यायालय जाने का अवसर दिया (जहां वे नहीं गये) तथा मौके की कार्यवाही सम्पादित कराई जिसमें निगराकार उमादत्त /उनके पुत्र अश्विनी ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया । नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रथम अपील हुई, जिन्होंने अपने प्रकरण कमांक 46/अपील/अ–27/10–11 में पारित आदेश दिनांक 27.4.11 से नायब तहसीलदार का आदेश , कारण उल्लिखित करते हुये स्थिर रखा । इसके विरूद्ध अपर आयुक्त सागर के समक्ष द्वितीय अपील हुई, जिनके आदेश दिनांक 30.8.13 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह प्रकरण संस्थित हुआ ।

3– मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुनें गये, लिखित तर्क पढ़े गये तथा प्रकरण के अभिलेखें का अध्ययन किया गया । तर्को में निगरागार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रमुख रूप से यह तर्क किया कि विचारण न्यायालय ने बगैर उन्हें पक्ष समर्थन का अवसर दिये बटवारा स्वीकार किया है, जिसमें उनके हिस्से में कम कीमत की भूमि/हिस्सा आया है । उन्होंने कहा कि गैरनिगराकार नायब तहसीलदार के समक्ष बटवारा आवेदन त्रुटिपूर्ण तरीके से दिया गया था, जिस कारणंवश भी नायब तहसीलदार का आदेश स्वीकार किये जाने योग्य नही है। साथ ही यह भी कहा कि फर्द बटवारे की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई एवं

उसका प्रकाशन नहीं कराया गया । अपने समर्थन में उन्होंने सरोज देवी एवं अन्य प्रकाश 2011 पेज 320 तथा प्रिज्म सीमेंन्ट लिमिटेड विरूद्ध श्रीमती सरोजसिंह एवं अन्य 2013 रा0 नि0 2013 पेज 22 मध्य प्रदेश शासन, तथा रामगोपाल एवं अन्य विरूद्ध हरीनिवास अन्य 2011 पेज 27 का संदर्भ लिया ।

4— गैरनिगराकार के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में निगरानी के तर्को का खण्डन करते हुये कहा कि नायब तहसीलदार का आदेश पूर्व के बटवारे एवं मौके कब्जे के आधार पर निगराकार पक्ष को बाकायदा सूचित करते हुये एवं समस्त विधिक आवश्यकताओं का पालन करते हुये ही हुआ है, जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्षो में सही पाया है। इस आधार पर उन्होंने निगरानी खारिज करने का निवेदन किया ।

5— इन तर्को के प्रकाश में अभिलेखें का परिशीलन करने से यह स्पष्ट होता है कि विचारण ने निगराकार को व्यवहार न्यायालय में (उन्हीं के द्वारा उठाये गये) स्वत्व के बिन्दु को स्पष्ट करने का अवसर दिया साथ ही फर्द बटवारे की कार्यवाही भी उनकी जानकारी के या उन्हें अवसर दिये बगैर हुई हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन बिन्दुओं पर दोनों अपीलीय न्यायालयों ने अपने आदेशों में खुलासा कर समवर्ती निष्कर्ष निकाले हैं, जिसके प्रकाश में एवं संबंधित अभिलेखों के आधार पर मैं इन बिन्दुओं पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ ।

6— जहां तक निगराकार पक्ष द्वारा यह बिन्दु उठाये जाने का प्रश्न है कि वर्ष 2004 में पटवारी ने बगैर सक्षम आदेश के उसके पूर्व में अलग अलग लिखे खातों को एक साथ लिख दिया जिससे पक्षकारों के हिस्से बदल गये, एवं यह कि बटवारे के परिणामस्वरूप निगराकार पक्षों को वे भूमियां मिली जिनका मूल्य कम था और जो कम अच्छी थी, जिसके कारण उन्हें अपनी पात्रता के अनुसार संपत्ति में भाग नहीं मिला, ...तो इन बिन्दुओं पर मैं दोनों अपीलीय न्यायालयों एवं विचारण न्यायालय के आदेशों में स्पष्टता का अभाव पाता हूँ, जिस कारण से मैं यह प्रकरण अपर आयुक्त सागर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ कि वे अपने न्यायालय अपील 424/अ—27/11—12 पुनः खोलकर इस आदेश के इस पैरा कमांक —6 में उपर लिखे गये इन बिन्दुओं पर भी स्पष्ट बोलते हुये निष्कर्ष सम्मिलित करते हुये, (तथा इस आदेश के इस पेरा के पूर्ववर्ती पैरा कमांक —5 बताये जा चुके उनके द्वारा पहले से निकाले जा चुके निष्कर्षों को भी पुनः बोलते स्वरूप में सम्मिलित

करते हुये) अपने न्यायालय के अपीलीय प्रकरण में, इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 6 माह के भीतर, समस्त हितबद्व पक्षकारों को सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुये और विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सुसंगत सिद्धातों का पालन करते हुये, नये सिरे से बोलता हुआ आदेश पारित करें। अधीनस्थ न्यायलयों के अभिलेख अपर आयुक्त सागर को उपरोक्त कार्यवाही हेतु भेजे जायें । पक्षकार सूचित हों । अपर आयुक्त सागर सूचित हों । प्रकरण समाप्त। दा0 द0 हो ।

आशीष श्रीवासतव
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर